

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]
No. 113]

दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 2008/आषाढ़ 25, 1930
DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 2008/ASADHA 25, 1930

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 110
[N.C.T.D. No. 110

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सहकारी शिक्षा कोष समिति

(पंजीयक, सहकारी समितियों का कार्यालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जुलाई, 2008

सं.फा.क.समि./सह./2008-2009/4391.—दिल्ली सहकारी समितियां नियम, 2007 के नियम 74 के अंतर्गत दिल्ली के उपराज्यपाल 'सहकारी शिक्षा कोष' के लिए निम्नलिखित को सलाहकार समिति का सहर्ष गठन करते हैं :—

1. पंजीयक सहकारी समितियां —सभापति
2. संयुक्त पंजीयक सहकारी समितियां —सदस्य
3. अध्यक्ष/महासचिव, दिल्ली राज्य सहकारी संघ लिमिटेड —सदस्य
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, दिल्ली राज्य सहकारी संघ लिमिटेड —सदस्य
5. प्रधानाचार्य, दिल्ली राज्य सहकारी शिक्षा केन्द्र लिमिटेड —सदस्य
6. अध्यक्ष/सचिव, दिल्ली सहकारी अर्बन बैंक संघ लिमिटेड —सदस्य

7. प्रबंधकीय निदेशक/महानिदेशक, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि. —सदस्य
8. सभापति/महाप्रबंधक, दिल्ली सहकारी आवासीय वित्तीय निगम —सदस्य
9. श्री रामानंद, अध्यक्ष, ग्रिंडले बैंक एम्प्लॉयमेन्ट को.टी.सी. लि. —सदस्य
10. श्री विजय सिंह लोचव, पार्षद/ग्रामीण विकास कृषि शाखा सेवा सहकारी समिति, बमनोली —सदस्य
11. श्री सुनील गर्ग, अध्यक्ष, दीप शाखा को.टी.सी. समिति लि. —सदस्य
12. श्री पी.सी. गड़ोदिया, अध्यक्ष राजस्थान सी.जी.एच.एस. लि. आमंत्रित
इस समिति का कार्यकाल अर्वाधि तीन वर्ष की होगी।

आदेश से,
यू. के. वोहरा, पंजीयक

COMMITTEE ON EDUCATION FUND
(OFFICE OF THE REGISTRAR, COOPERATIVE SOCIETIES)

NOTIFICATION

Delhi, the 16th July, 2008

F. No. CEF/Coop/Committee/2008-2009/4391.—
The Lt. Governor, Delhi is pleased to constitute the

Cooperative Education Fund Advisory Committee Consisting of the following as per provisions contained in Rule 74 of the Delhi Coop. Societies Rules, 2007.

1. Registrar —Chairman
2. Joint Registrar —Member
3. President or General Secretary, Delhi State Cooperative Union —Member
4. Chief Executive Officer, Delhi State Cooperative Union —Member
5. Principal, Delhi State Coop. Training Centre —Member
6. President or Secretary Delhi Coop. Urban Bank Federation Ltd. —Member
7. Managing Director or General Manager, Delhi State Cooperative Bank Ltd. —Member
8. Chairman or General Manager of Delhi Coop. Housing Finance Corporation —Member
9. Sh. Rama Nand, President, Grindlays Banks Empl. Coop. Society —Member
10. Sh. Vijay Singh Lochav, M.L.A. Representative Grammen Vikas Krishi Sakha Sewa Sehkari Samiti, Bamnoli. —Member
11. Sh. Sunil Garg, President, Deep Shikha Coop. Ur. T/C Society Ltd. —Member
12. Sh. Prem Chand Gododia, President, Rajasthan Coop. Group Housing Society Ltd. —Special Invitee

The terms of the committee shall be for a period of 3 years.

By Order,

U. K. WOHRRA, Registrar

कृषि विपणन निदेशालय

(विकास विभाग)

आदेश

दिल्ली 16 जुलाई, 2008

सं. एफ 8/36/2004-डी.ए.एम./एम.आर./1396.—यद्यपि कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 23 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं. एफ-8/36/2005-डी.ए.एम./एम.आर./1604 दिनांक 16-09-2005 द्वारा किसान हॉट, छत्तरपुर (अंधेरिया मोड़) को फल एवं सब्जियों के

विपणन हेतु कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मण्डी) का उप-स्थल घोषित किया गया था। अब वही अधिसूचना सं. एफ-8/36/2005-डी.ए.एम./एम.आर./1604 दिनांक 16-09-2005 को निरस्त करते हुए किसान हॉट, छत्तरपुर (अंधेरिया मोड़) को फल एवं सब्जियों के विपणन हेतु कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मण्डी) के उप-स्थल से डीनोटिफाइड किया जाता है।

आगे, छत्तरपुर किसान मंडी उपविधायी, 2004 जो कि कृषि उत्पाद विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 118 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी) आजादपुर द्वारा बनाया गया था, और दिल्ली कृषि विपणन परिषद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 118 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अनुमोदित की गई और निदेशक, कृषि विपणन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा, 118 की उप-धारा (7) के अंतर्गत पुष्टि की गई तथा जिनको सं. एफ-8/36/2004/डी.ए.एम./एम.आर./617 दिनांक 11-02-2005 के द्वारा अधिसूचित किया गया था, को भी डीनोटिफाइड किया जाता है।

आदेश से,

डॉ. आर. डी. श्रीवास्तवा, निदेशक

DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING

(Development Department)

ORDER

Delhi, the 16 July, 2008

No. F. 8/36/2004-DAM/MR/1396.— In supersession of the previous Order No. F.8/36/2005-DAM/MR/1604 dt. 26-04-2005, the Kissan Haat, Chhattarpur (Andheria Mor), declared as sub-yard of Agricultural Produce Marketing Committee (Market of National Importance), Azadpur for marketing of Fruits and Vegetables under sub-section (2) of Section 23 of Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 is hereby de-notified.

Further, the Chhattarpur Farmers Market Bye-laws, 2004 as made by Agricultural Produce Marketing Committee (Market of National Importance), Azadpur under sub-section (1) of Section 118 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998, and as approved by the Delhi Agricultural Marketing Board under sub-section (2) of Section 118 of the said Act and as confirmed by the Director, Agricultural Marketing, Govt. of NCT of Delhi under sub-section (7) of Section 118 of the said Act, notified vide No. F. 8/36/2004/DAM/MR/617 dt. 11-02-2005 is also hereby de-notified.

By Order,

Dr. R. D. SRIVASTAVA, Director

शिक्षा निदेशालय

अधिसूचना

दिल्ली 16 जुलाई, 2008

सं.फा. 30-3(28)/III/समन्वय/07/1036-53.— माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली सरकार, शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार

के अंतर्गत सहायता प्राप्त स्कूलों के ऐसे प्रधानाचार्यों तथा उपप्रधानाचार्यों को संविदा आधार पर नियुक्त करने की अनुमति प्रदान करते हैं जो 60 वर्ष के हो चुके हैं तथा शिक्षा सत्र वर्ष 2007-08 में सेवानिवृत्त हुए हैं। यह नियुक्ति एक वर्ष की होगी जिसे कार्य संपादन के आधार पर एक वर्ष आगे बढ़ाया जा सकता है। संविदा आधार पर यह नियुक्ति कार्य एवं चिकित्सा दुरुस्तगी एवं सतर्कता स्वीकृति की शर्त पर होगी तथा प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य को उन्हीं सहायता प्राप्त स्कूलों में संविदा रोजगार वहीं दिया जायेगा जहां शिक्षा निदेशालय को संबंधित स्कूल की प्रबंध समिति से ऐसा अनुरोध प्राप्त हुआ हो जिसमें उक्त संविदा रोजगार की सिफारिश करते हुए स्पष्ट रूप से अनुबंध नियुक्ति कर्मचारी के वेतन पर अतिरिक्त आनुपातिक व्यय के बारे में प्रबंधक वर्ग द्वारा व्यवस्था किए जाने की इच्छा व्यक्त की गई हो।

उक्त नियुक्ति की शर्तें इस प्रकार होंगी :—

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा उपप्रधानाचार्य जिन्होंने 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा शैक्षणिक वर्ष 2007-08 के दौरान सेवानिवृत्त हो गए हैं, वे संविदा नियुक्ति के लिए विचारणीय होंगे। उक्त संविदा नियुक्ति, संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव को जारी करने के पश्चात् संबंधित पद का पुनः कार्यभार सभालने की तारीख से प्रभावी होगी। संविदा नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए उसके व्यक्तिगत कार्य निष्पादन के आधार पर अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित होगी।

2. ऐसे प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों के संविदा आधार पर नियुक्ति उनके प्रोफेशन तथा चिकित्सा आरोग्य एवं सतर्कता क्लीयरेंस के अनुसार होगी। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य तथा उपप्रधानाचार्य की शारीरिक फिटनेस के लिए "पंजीकृत चिकित्सा प्रेक्टिसनर" (आर एम पी) से प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा जो कि संबंधित विद्यालय की प्रबंध समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रोफेशनल फिटनेस भी प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित की जानी अपेक्षित होगी जो कि उनकी व्यक्तिगत कार्य एवं आचरण रिपोर्ट तथा सतर्कता क्लीयरेंस तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर विचार करने के पश्चात् होगी।

3. विद्यालय की प्रबंध समिति ऐसे संविदा आधार पर लगाए जाने वाले प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों के मामले की संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को स्पष्ट रिक्तियों के लिए संविदा आधार पर उक्त प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों के वेतन पर संबंधित अतिरिक्त अनुपातिक व्यय करने की इच्छा सहित अनुमोदन हेतु सिफारिश करेगी। शिक्षा निदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात् प्रबंध समिति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध प्रारूप में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों को संविदा नियुक्ति प्रस्ताव जारी करेगी।

4. संविदा आधार पर नियुक्त ऐसे प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों का पारिश्रमिक ऐसे संविदा आधार पर नियुक्ति द्वारा लिए जा रहे उनकी सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त पारिश्रमिक पेंशन अथवा 20,000/-रुपये प्रतिमाह, इसमें जो भी कम हो पारिश्रमिक स्तर का होगा तथापि संविदा नियुक्ति पर दिया गया पारिश्रमिक दिनांक 13-2-1998 के भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के

कार्यालय ज्ञापन 16012/97-स्था. भत्ते के अनुसार प्रतिबंधित होगा, जिसमें यह निर्बंधित है कि उनके द्वारा लिया गया पारिश्रमिक अंतिम लिए गए वेतन-संविदा नियुक्ति द्वारा ली गई पेंशन अथवा 20,000/-रुपये प्रतिमाह इसमें जो भी कम हो से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे, ऐसी संविदा नियुक्ति पर दिया जा रहा पारिश्रमिक समय-समय पर इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से जारी एफआर/एसआर नियमों/अनुदेशों के अनुसार शासित होगा। उपरोक्त को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत है :-

मूल	15,375/- रुपये
डी.पी.	7,688/- रुपये
-----	23,063/- रुपये सेवानिवृत्त के समय प्राप्त
पेंशन घटा कर	11,363/- रुपये
-----	-----
कुल	11,700/- रुपये
-----	-----

5. ऐसी संविदा नियुक्तियों पर व्यय का सरकारी भाग शीर्ष सहायता अनुदान निधि के अधीन विभाग में उपलब्ध निधियों से पूरा किया जाएगा।

6. संविदा नियुक्ति वाले को समस्त प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान होंगी जिनमें एफआर दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम तथा नियमावली, 1973 के अधीन शक्तियाँ वित्तीय शक्तियाँ एवं वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) लिखने की शक्ति सम्मिलित है।

7. वे संविदा नियुक्तियों में लगे हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू छुट्टियों के हकदार होंगे।

8. प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य जो संविदा आधार पर नियुक्त किए गए हैं वे सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू समस्त उद्देश्यों के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 द्वारा शासित होंगे।

9. संविदा नियुक्ति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कूल की प्रबंध समिति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक के अनुमोदन से कदाचार के आधार पर वित्तीय अनियमितताओं के कारण, कार्य के निष्ठा के अभाव के कारण, लापरवाही एवं खराब कार्य निष्पादन इत्यादि के कारण, कारण बताओ सूचना के पश्चात् तथा उसके प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

10. ऐसे मामलों में वह सीसीएस पेंशन नियमावली के नियम 8 के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

11. उपरोक्त शर्तों पर संविदा नियुक्ति का यह प्रस्ताव नियमित नियुक्ति के लिए प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य के पद पर तथा किसी अन्य समकक्ष पद पर नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करता।

12. नियुक्ति परिशिष्ट-1 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में केवल उपरोक्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् ही की जाएगी।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
के. एस. मीणा, उप सचिव

परिशिष्ट-1

विद्यालय

ज्ञापन

विषय : दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रधानाचार्य तथा उपप्रधानाचार्य के पद पर संविदा आधार पर नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि.....विद्यालय की प्रबंधन समिति के प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य के पद पर..... सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य को पूर्ण रूप से संविदा के आधार पर नियुक्त करते हैं। वह दिनांक 13-2-1998 के भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन 16012/97-स्थापना (भत्ते) के अनुसार तथा तत्समय लागू ऐसे भत्तों के अनुदान को शासित करने वाले नियमों तथा आदेशों में यथा-निर्धारित शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक के हकदार होंगे।

नियुक्ति प्रस्ताव की शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा उपप्रधानाचार्य जिन्होंने 60 वर्ष पूरे कर लिए हैं तथा शैक्षणिक वर्ष 2007-2008 के दौरान सेवानिवृत्त हो गए हैं, वे संविदा नियुक्ति के लिए विचारणीय होंगे। उक्त संविदा नियुक्ति, संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव को जारी करने के पश्चात् संबंधित पद का पुनः कार्यभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। संविदा नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए होगी तथा अधिकतम दो वर्षों की अवधि के लिए उसके व्यक्तिगत कार्य निष्पादन के आधार पर अगले एक वर्ष के लिए विस्तारित होगी।

2. ऐसे प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों के संविदा आधार पर नियुक्ति उनके प्रोफेशन तथा चिकित्सा आरोग्यता एवं सतकर्ता क्लीयरेंस के अनुसार होगी। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य तथा उपप्रधानाचार्य की शारीरिक फिटनेस के लिए "पंजीकृत चिकित्सा प्रेक्टिसनर" (RMP) से प्रमाण-पत्र अपेक्षित होगा जो कि संबंधित विद्यालय की प्रबंध समिति को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रोफेशनल फिटनेस भी प्रबंधन समिति द्वारा निर्धारित की जानी अपेक्षित होगी जो कि उनकी व्यक्तिगत कार्य एवं आचरण रिपोर्ट तथा सतकर्ता क्लीरेंस तथा चिकित्सा प्रमाण पत्र पर विचार करने के पश्चात् होगी।

3. विद्यालय की प्रबंध समिति ऐसे संविदा आधार पर लगाए जाने वाले प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों के मामले की संबंधित क्षेत्रीय निदेशक को स्पष्ट रिक्तियों के लिए संविदा आधार पर उक्त प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों के वेतन पर संबंधित अतिरिक्त अनुपातिक व्यय करने की इच्छा सहित अनुमोदन हेतु सिफारिश करेगी। शिक्षा निदेशालय के संबंधित क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के पश्चात् प्रबंध समिति सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों को संविदा नियुक्ति प्रस्ताव जारी करेगी।

4. संविदा आधार पर नियुक्त ऐसे प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों का पारिश्रमिक ऐसे संविदा आधार पर नियुक्ति द्वारा लिए जा रहे उनकी सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त पारिश्रमिक पेंशन अथवा

20,000/- रुपये प्रतिमाह, इसमें जो भी कम हो पारिश्रमिक स्तर का होगा तथापि संविदा नियुक्ति पर दिया गया पारिश्रमिक दिनांक 13-2-1998 के भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन 16012/97-स्था. भत्ते के अनुसार प्रतिबंधित होगा, जिसमें यह निर्बंधित है कि उनके द्वारा लिया गया पारिश्रमिक अंतिम लिए गए वेतन-संविदा नियुक्ति द्वारा ली गई पेंशन अथवा 20,000/- रुपये प्रतिमाह इसमें जो भी कम हो से अधिक नहीं होना चाहिए। आगे, ऐसी संविदा नियुक्ति पर दिया जा रहा पारिश्रमिक समय-समय पर इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से जारी एफआर/एसआर नियमों/अनुदेशों के अनुसार शासित होगा। उपरोक्त को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण प्रस्तुत है :-

मूल	15,375/- रुपये
डी.पी.	7,688/- रुपये
-----	23,063/- रुपये सेवा निवृत्त के समय प्राप्त
पेंशन घटा कर	11,363/- रुपये
कुल	11,700/- रुपये

5. ऐसी संविदा नियुक्तियों पर व्यय का सरकारी भाग शीर्ष सहायता अनुदान निधि के अधीन विभाग में उपलब्ध निधियों से पूरा किया जाएगा।

6. संविदा नियुक्ति वाले को समस्त प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान होगी जिनमें एफआर दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम तथा नियमावली, 1973 के अधीन शक्तियाँ वित्तीय शक्तियाँ एवं वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) लिखने की शक्ति सम्मिलित है।

7. वे संविदा नियुक्तियों में लगे हुए केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू छुट्टियों के हकदार होंगे।

8. प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य जो संविदा आधार पर नियुक्त किए गए हैं वे सहायता प्राप्त स्कूलों पर लागू समस्त उद्देश्यों के लिए दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1973 द्वारा शासित होंगे।

9. संविदा नियुक्ति, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्कूल की प्रबंध समिति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक के अनुमोदन से कदाचार के आधार पर वित्तीय अनियमितताओं के कारण, कार्य के निष्ठा के अभाव के कारण, लापरवाही एवं खराब कार्य निष्पादन इत्यादि के कारण, कारण बताओ सूचना के पश्चात् तथा उसके प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

10. ऐसे मामलों में वह सीसीएस पेंशन नियमावली के नियम 8 के अधीन कार्यवाही किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

11. उपरोक्त शर्तों पर संविदा नियुक्ति का यह प्रस्ताव नियमित नियुक्ति के लिए प्रधानाचार्य/उपप्रधानाचार्य के पद पर तथा किसी अन्य समकक्ष पद पर नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करता।

12. नियुक्ति परिशिष्ट-1 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में केवल उपरोक्त औपचारिकताएं पूर्ण होने के पश्चात् ही की जाएगी।

यदि.....शर्तों पर सविधिक नियुक्ति के लिए सहमत है तथा उसे स्वीकार करता है तो उसे.....को इस पत्र के जारी होने के 10 दिनों की अवधि के अन्दर सूचित करना चाहिए, ऐसा न करने पर नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द समझा जाएगा।

प्रबंधक

.....स्कूल

श्री/श्रीमती.....

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य/उप-प्रधानाचार्य

प्रतिलिपि निम्न को :-

1. नि. स. सचिव, शिक्षा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
2. नि. स. निदेशक, शिक्षा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
3. क्षेत्रीय निदेशक, शिक्षा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
4. उप निदेशक (.....जिला)।
5. गार्ड फाईल।

प्रबंधक

.....स्कूल

DIRECTORATE OF EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 16th July, 2008

No. F. 30-3(28)/III/Coord/07/1036 to1053.—The Hon'ble Lt. Governor, Government of National Capital Territory of Delhi is pleased to allow the appointment on contract basis of those Principals and Vice-Principals in Aided schools under the Directorate of Education, Government of Delhi who have attained the age of 60 years and have retired during the academic year 2007-08, for a period of one year and extendable for another one year based on performance. Such appointment on contract basis shall be subject to Professional & Medical Fitness and Vigilance Clearance and further subject to the condition that such contract employment to Principals/ Vice-Principals in aided schools will be provided wherever there is a request received in the Directorate of Education from the Managing Committee of the concerned school recommending such contract employment and clearly indicating the willingness of the management to make respective additional proportionate expenditure on the salary of the contract appointed employee.

The terms and conditions of such appointment shall be as follows:

1. The Principals and Vice-Principals of aided schools of Directorate of Education GNCT of Delhi, who have attained the age of 60 years and have retired during the Academic Year 2007-08, shall be eligible for consideration for Contract Appointment. The said Contract Appointment will be effective from the date of re-assumption of work of the respective post, after issuance of offer of Contract Appointment. The contract appointment will be for a period of one year extendable for another one year based on the performance of the individual concerned for a maximum period of two years.

2. Engagement on contract basis of such Principals/ Vice-principals will be subject to Professional & Medical Fitness and Vigilance Clearance. For Physical Fitness of retiring Principal and Vice Principal, a certificate from 'Registered Medical Practitioner' is required to be submitted to the Managing Committee of the concerned school. The Professional Fitness is also required to be assessed by the Managing Committee by considering Work & Conduct Report and Vigilance Clearance and Medical Certificate in respect of the individual concerned.

3. The Managing Committee of the School shall recommend the cases of such Vice-Principals/ Principals to be engaged on contract basis against clear vacancies to the Regional Director concerned for approval along with willingness to make respective additional proportionate expenditure on the salary of said Principals/Vice-Principals. After approval of the proposal of by the concerned R D Office of the Directorate of Education, the Managing Committee shall issue contract appointment offer to the superannuated Vice-Principals/Principals in the format placed at Annexure-1

4. Remuneration of such Vice-Principals/ Principal appointed on contract basis will be at the level of emoluments being drawn by these Contract Appointees at the time of their retirement Minus pension Rs. 20,000/- per month, whichever is less. However, the emoluments paid on contract appointment shall be restricted in accordance with GOI, DOPT OM 16012/97-Estt. (Allowances) dated 13-2-1998 which stipulates that emoluments drawn by them should not exceed either the last pay drawn minus pension by the contract Appointee or Rs. 20,000/- per month whichever is less. Further emoluments being paid to these Contract Appointees will be governed as per FR/SR rules instructions issued from Government of NCT of Delhi in this regard from time to time. To simplify the above said, an example is as follows:

BASIC PAY:	Rs. 15,375/-
D. P.	Rs. 7,688/-
	Rs. 23,063/- Drawn at the time of retirement.
Less Pension	Rs. 11,363/-
Total	Rs. 11,700/-

2691 D G/08-2

5. The Govt.'s share of the expenditure on such contract appointments will be met from the funds available to the Department under Head-GIA Fund.

6. The Contract Appointees are empowered to exercise all administrative powers including that of powers under FRs, Delhi School Education Acts & Rules, 1973, Financial powers and ACRs writing powers.

7. They will also be entitled to leave as admissible to Central Government servants engaged on Contract Appointments.

8. The Principals/Vice- Principals who are appointed on contract basis will be governed by Delhi School Educational Act, 1973 for all purposes as applicable to Aided Schools.

9. The Contract Appointment may be terminated at any time by the Competent Authority i.e. the Managing Committee with the approval of the concerned Regional Director of Education, GNCT of Delhi through a speaking order on ground of misconduct, financial irregularity, dereliction of duty, negligence and poor performance etc. after giving a Show Cause Notice and duly considering the representation of the individual.

10. In such cases the individual shall be liable to be proceeded under Rule 8 of CCS Pension Rules.

11. The offer of Contract Appointment on the above terms and conditions shall not confer any right whatsoever to claim for regular appointment either to the post of Principal/Vice-Principal or any other equivalent post.

12. The appointment shall be given only after completion of the above formalities in the prescribed format placed as Annexure-1.

By Order and in the Name of
the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,
K. S. MEENA, Dy. Secy.

Annexure-1

_____ School

MEMORANDUM

Sub.: Offer of appointment on contract basis to the post of Principal and Vice-Principal in Aided Schools of Delhi.

The undersigned is directed to state that Managing Committee of _____ school is pleased to offer an appointment to retired Principal/Vice- Principal to the post of Principal/Vice-Principal purely on contract basis. He/She will be entitled for emoluments in accordance with GOI, DOPT OM 16012/97-Estt. (Allowances) dated 13-2-1998 and also subject to the conditions as laid down in rules and orders governing the grant of such allowances in force from time to time.

The terms and conditions of offer of appointment are as follows:

1. The Principals and Vice-Principals of Aided schools of Directorate of Education, GNCT of Delhi, who have attained the age of 60 years and have retired during the Academic Year 2007-08, shall be eligible for consideration for Contract Appointment. The said Contract Appointment will be effective from the date of reassumption of work of the respective post, after issuance of offer of Contract Appointment. The Contract Appointment will be for a period of one year extendable for another one year based on the performance of the individual concerned for a maximum period of two years.

2. Engagement on contract basis of such Principals/Vice Principals will be subject to Professional & Medical Fitness and Vigilance Clearance. For Physical Fitness of retiring Principal and Vice Principal, a certificate from "Registered Medical Practitioner" is required to be submitted to the Managing Committee of the concerned school. The Professional Fitness is also required to be assessed by the Managing Committee by considering Work & Conduct Report and Vigilance Clearance and Medical Certificate in respect of the individual concerned.

3. The Managing Committee of the school shall recommend the cases of such Vice Principal/Principals to be engaged on contract basis against clear vacancies to the Regional Director concerned for approval along with willingness to make respective additional proportionate expenditure on the salary of said Principals/Vice Principals. After approval of the proposal by the concerned R.D Office of the Directorate of Education, the Managing Committee shall issue Contract Appointment offer to the superannuated Vice Principals/Principals.

4. Remuneration of such Vice Principals/Principals appointed on contract basis will be at the level of emoluments being drawn by these Contract Appointees at the time of their retirement minus pension or Rs. 20,000/- per month, whichever is less. However, the emoluments paid on Contract Appointment shall be restricted in accordance with GOI, DOPT OM 16012/97-Estt. (Allowances) dated 13-2-1998 which stipulates that emoluments drawn by them should not exceed either the last pay drawn minus pension by the contract appointee or Rs. 20,000/- per month whichever is less. Further emoluments being paid to these Contract Appointees will be governed as per FR/SR rules/instructions issued from Govt. of NCT of Delhi in this regard from time to time. To simplify the above said, an example is as follows:

BASIC PAY:	Rs.15,375/-
D. P.	: Rs. 7,688/-
	Rs.23,063/- Drawn at the time of retirement.
Less Pension	: Rs.11,363/-
Total	<u>Rs.11,700/-</u>

5. The Govt.'s share of the expenditure on such contract appointments will be met from the funds available to the Department under Head-GIA Fund.

6. The Contract Appointees are empowered to exercise all administrative powers including that of powers under FRs, Delhi School Education Act and Rules, 1973, Financial Powers and ACR writing powers.

7. They will also be entitled to leave as admissible to Central Government Servants engaged on contract appointments.

8. The Principals/Vice Principals who are appointed on contract basis will be governed by Delhi School Educational Act, 1973 for all purposes as applicable to Aided Schools.

9. The contract appointment may be terminated at any time by the Competent Authority i.e. the Managing Committee of the school with the approval of the concerned Regional Director of Education, on GNCT of Delhi through a speaking order on ground of misconduct, financial irregularity, dereliction of duty, negligence and poor performance etc. after giving a Show Cause Notice and duly considering the representation of the individual.

10. In such cases the individual shall be liable to be proceeded under Rule 8 of CCS Pension Rules.

11. This offer of contract appointment on the above terms and conditions shall not confer any right whatsoever to claim for regular appointment either to the post of Principal/Vice Principal or any other equivalent post.

12. The appointment shall be given only after completion of the above formalities.

If, _____ agrees to and accepts the contractual appointment on the terms and conditions, he/she should report to the _____ within a period of 10 days of issue of this letter, failing which the offer of appointment will be treated as cancelled.

MANAGER

_____ School

Sh./Smt. _____

Rtd. Principal/Vice Principal.

Copy to:-

1. PS to Secretary, Education, Old Secretariat, Delhi.
2. PS to Director, Education, Old Sectt., Delhi.
3. The Regional Director, _____
4. Dy. Director (_____ Distt.)
5. Guard file.

MANAGER

_____ School